



नक्सा स्वीकृति की मान्यता पांच वर्ष तक रहेगी

गया नगर निगम गया
का मुकदमा नं: 296/22-23
बिहार नगरपालिका नियम 1907 के
धारा 314 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया।

नगर आयुक्त
गया नगर निगम, गया

26/2/22